फाइल नं0-71-3002(002)/4/2023-03

70/2026/I/1275266/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में जे0के0 इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर में विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/535, दिनांक 10.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में जे०के० इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर में विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में जे०के० इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर हेतु संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से (मानक मद-49-चिकित्सा व्यय में रू0 5.00 लाख, मानक मद-39-औषधि तथा रसायन में रू0 100.00 लाख, मानक मद-21-छात्रवृत्तियॉ और छात्रवेतन में रू0 75.00 लाख, मानक मद-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू0 2.00 लाख तथा मानक मद-11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई में रू0 2.00 लाख) प्राविधानित धनराशि रू0 1,84,00,000/- (रूपये एक करोड़ चौरासी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-.

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) संबंधित निदेशक द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग निदेशक द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।
(4) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए निदेशक स्वंय उत्तरदायी होंगे।
(5) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210051050501 (जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	11 लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
2	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
3	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)
4	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	39 औषधि तथा रसायन	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
5	031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	49 चिकित्सा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
	कुल			**1,84,00,000 (रुपये एक करोड़ चौरासी लाख मात्र)**

महायोग	1,84,00,000 (रुपये एक करोड़ चौरासी लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-उपरोक्त, तद्‌दिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्‌वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्‌वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, कानपुर।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in